

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाडा (राज.)

२०२५/४६

किरम मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना-पत्र	28/25	20/2/25		10/3/25 17/3/25 24/3/25

अनवान

श्री कबुराम पिता लालु

श्री गोपाल गुजर पिता नन्दा

निवासी आरोली

निवासी आरोली

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेषपोडेंट

डिग्रीदार

मदयून

श्री S.K. J.

श्री

FORM NO. III

फॉर्म अहकम

Crim I

नियम 26

जज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां, भीलवाड़ा

क्र.सं. **क्र.सं. 11-128**





कनाम

गोपाल

प्रकरण मुकदमा

11-128

प्रकरण संख्या **28** रान 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20/2 2025	<p>प्रार्थना-पत्र सीमे से बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीयों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना-पत्र, विपक्षीयों को भेजी जावे। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 10/3/2025 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों।</p>	<p> उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां</p>
10/3/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान PO का दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 17/3/25 को वास्ते 30/3/25 पेश हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी</p>	
17/3/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान PO का दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 24/3/25 को वास्ते 30/3/25 पेश हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी</p>	
24/3/25	<p>पत्रावली पेश हुई। सम्मत विपक्षीयों की बाद तामील जाप हुई, जिले शामिल पत्रावली भिजा गया। विपक्षी बाद सूचना अनुपस्थित रहे। विपक्षीयों को 3 बार धावाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली में विपक्षीयों के विरुद्ध एक पक्षीय ओपेरा पारित किए गए। ओपेरा के पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। पत्रावली फुलर शुगर टैम्बर, नम्बर 11 रूम टैम्बर दाखिल रूपत रहे।</p>	<p> उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा</p>



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
(राज०)

प्रकरण संख्या :- 28/25

तारीख दायर 20/2/23

प्रेषित :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 28/25 पत्थरगढी

बाबत।

कालुराम पिता लालु गुर्जर जाति गुर्जर उम्र व्यस्क निवासी आरोली तहसील
बिजौलियाँ जिला भीलवाडा राज०

.....प्रार्थी

गोपाल गुर्जर पिता नन्दा जी जाति गुर्जर उम्र व्यस्क निवासी आरोली तहसील
बिजौलियाँ जिला भीलवाडा राज०

मांगीलाल पिता गोदा जी जाति गुर्जर उम्र व्यस्क निवासी आरोली तहसील
बिजौलियाँ जिला भीलवाडा राज०

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम
आरोली पटवार हल्का आरोली भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया तहसील
बिजौलियाँ स्थित खाता संख्या 20 पर स्थित आराजी संख्या 435, 439,
440, 441, 477, 478 कुल कित्ता 6 रकबा 1.9264 हैक्टेयर भूमि, की
बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य
का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत
करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर
नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000/- रुपये कि जाती है वक्त मौके पर प्रार्थी अदा
करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।
पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
(राज0)

प्रकरण संख्या :- 28/25

तारीख दायर 20/2/23

प्रेषित :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 28/25 पत्थरगढी

बाबत।

कालुराम पिता लालु गुर्जर जाति गुर्जर उम्र व्यस्क निवासी आरोली तहसील
बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

.....प्रार्थी

गोपाल गुर्जर पिता नन्दा जी जाति गुर्जर उम्र व्यस्क निवासी आरोली तहसील
बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

मांगीलाल पिता गोदा जी जाति गुर्जर उम्र व्यस्क निवासी आरोली तहसील
बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम
आरोली पटवार हल्का आरोली भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया तहसील
बिजौलियां स्थित खाता संख्या 20 पर स्थित आराजी संख्या 435, 439,
440, 441, 477, 478 कुल किता 6 रकबा 1.9264 हैक्टेयर भूमि, की
बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य
का पाया जावे तो जांरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत
करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भु-अभिलेख निरीक्षक 10.10.23 को कमिश्नर
नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 10.10.23 तिथि कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा
करेगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।
पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

3
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ



50